

पचा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 315/2025

1. गुरदास सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी,

1. अंग्रेज सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासीयान मेहरवाला
- 2 किरणदीप पत्नी गुरदास सिंह तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
- 3 राजपाल कौर पुत्री अंग्रेज सिंह पत्नी अमनदीप जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मटोरियावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. वीरपाल कौर पुत्री अंग्रेज सिंह पत्नी राजपाल सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी फतेहगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।



प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 21/8/25


आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है क वादी गुरदास सिंह को प्राप्त आराजी- चकनं0 5 एनडीआर ए के खाता सं0 97/88 में कुल 9.765 है0 में से प्रतिवादीसं0 1 अंग्रेज सिंह का 202/1953 हिस्सा ख. प्रतिवादीया सं0 2 किरणदीप को प्राप्त आराजी - चकनं0 3 एम.एस.टी. एम.एम के खाता सं0 123/121 में अंकित कुल 3.669 है0 में से प्रतिवादीसं0 1 अंग्रेज सिंह का 980/3669 हिस्सा आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नं0 5 एनडीआर ए के खाता सं0 97/88 व चक नं0 3 एम.एस.टी. एस. एम. के खाता सं0 123/121 मे से प्रतिवादी सं0 1 अंग्रेज सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै0मु0 रकवे को यथावत रखते हुये यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। तहसीलदार राजस्व

अधिकारी
सहायक कलेक्टर
टिब्बी

टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/8/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(राज्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी।